(75)

न्यायालय श्रीमान् रेव्यू बोर्ड आफिस, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES | COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 811/II/06

1. इन्द्रलाल तनय नन्दकिशोर उम्र-55 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम नौढ़िया, तहसील मऊगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)

2. दूगुनाथ,
3. सुरेश प्रसाद,
4. रमेश कुमार,
5. दिनेश कुमार

(क्रमांक 2 ता 5 तनय श्री लालता प्रसाद)

6. मु0 भुइली पत्नी लालता प्रसाद,

--सभी निवासी ग्राम नौढ़िया, तहसील मऊगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)

---आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. राम गोपाल पटेल,

2. राम प्रसन्न पटेल,

3. रामनिधि पटेल,

--तीनों के पिता सुग्रीव प्रसाद पटेल सभी निवासी ग्राम नौढ़िया, तहसील मऊगंज, जिला-रीवा (म0प्र0)

----अनावेदकगण/
गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 88/निगरानी/03-0[illegible] आदेश दिनांक 27/3/06 राम गोपाल बगै[रह] बनाम दूगुनाथ बगैरह

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता.

श्री ... एडवोकेट द्वारा आज दि० 1-5-06 ...
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

818/...
1-5-06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

जिला–रीवा

प्रकरण क्रमांक निग0 811–दो / 2006

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 88/निग0/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने निगरानी मेमों में दर्शाये गये बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि अनावेदकगण द्वारा उक्त खसरों में लिपिकीय त्रुटि को सुधार किये जाने बावत आवेदन–पत्र अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया । आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि संहिता की धारा 113 के	

तहत त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकता है और न ही खसरे में कोई नई प्रविष्टि अंकित की जा सकती है। जहां संहिता की धारा 113 का प्रश्न है, उसके संबंध में संहिता के प्रावधान है कि यदि कोई लीपीकीय त्रुटि हो जावे तो उसका सुधार किया जाना चाहिये तथा संहिता की धारा 116 के तहत खसरे में सुधार एक वर्ष के अंदर किया जाना चाहिये। किन्तु अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज ने आवेदन–पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है और अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा ने इस बिन्दु पर ध्यान न देकर जो आदेश पारित किया है वह आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर गंभीरता से विचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है । अतएव निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है कि आवेदक की ओर से उसके अभिभाषक निरंतर उपस्थित होते रहे हैं और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी मिला है । उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क सुने जाकर ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अतएव आवेदक का यह तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है । अभिलेख से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा अधनीस्थ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में खसरों में लीपीकीय त्रुटि सुधार हेतु संहिता की धारा 113 एवं 32 के तहत त्रुटि सुधार का आवेदन–पत्र भी प्रस्तुत

किया गया है। जिस पर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारोपरांत आवेदन–पत्र को स्वीकार किया गया है । जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत अपील अपर कलेक्टर, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर, रीवा ने अपने आदेश दिनांक 23.07.2004 में लिपिकीय त्रुटि के कारण निगरानी मानकर आदेश पारित किया है। चूँकि अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता अधीनस्थ अपर कलेक्टर को ही थी। अतः इस बिन्दु पर अनावेदकगण के तर्क का कोई औचित्य नहीं है।

6/ प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 78–79 से 82–83 व 83–84 से 87–88 व 88–89 से 92–93 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमिस्वामी के रूप में अनावेदकगण का नाम दर्ज है। वर्ष 83–84 से 87–88 के संशोधित खसरे की प्रतिलिपि में 0.60 डि0 पर लालता प्रसाद, इंद्रलाल तथा नंदकिशोर का नाम बी–1 में लाल स्याही से दर्ज है । यह संशोधन किस आदेश के तहत किया गया इसका कोई हवाला नहीं है। यदि कोई आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा पारित न हो तो वह आदेश की श्रेणी में नहीं आता तथा उसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है, जिसे अपर कलेक्टर ने प्रत्यावर्तित करने की भूल की है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 88/निग0/2003–04 में पारित विस्तृत आदेश दिनांक 27.03.2006 द्वारा अपर कलेक्टर, रीवा के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य